झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–32 / 2020

माला देवी उर्फ निर्मला देवी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्रीमती विपुल दिव्या, ए0पी0पी0।

02 / 17.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता सेन्हा थाना काण्ड संख्या 81 / 2019 के संबंध में एक आरोपी हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक की बहू का संजय महतो के साथ प्रेम संबंध था। एक पंचायती भी बुलाई गई और 13.120.2019 को बहू गायब हो गई। याचिकाकर्त्ता संजय महतो की पत्नी है, जिसका सूचक की बहू के साथ अवैध संबंध था और इस तरह के अवैध संबंध के कारण याचिकाकर्त्ता पर भी संदेह किया गया था। याचिकाकर्त्ता 16.10.2019 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – (दस हजार) के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान

एस0डी0जे0एम0, लोहरदगा के संतुष्टि पर सेन्हा थाना काण्ड संख्या 81/2019 के संबंध में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)